पत्र संख्या–11/आ0नी0–I–06/2016 सा0प्र0 14209

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

राजेन्द्र राम,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव।
सभी विभागाध्यक्ष, बिहार।

पटना–15, दिनांक– 19-10-16

विषय :– बिहार राज्य की आरक्षण नीति के आलोक में प्रतिमाह समीक्षा तथा नियुक्ति के संबंध में विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन प्रतिमाह उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय,

राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991, बिहार अधिनियम–3/1992 में किया गया है।

2. वर्त्तमान समय में राज्य की आरक्षण नीति के आयाम में वृद्धि हुई है। सभी आरक्षित वर्गों के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने के साथ ही राज्य सरकार की नीति के अन्तर्गत सीधी नियुक्ति में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी के लिए 2 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण एवं विकलांगता आधारित 3 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का नया प्रावधान प्रभावी किया गया है। साथ ही आरक्षण के प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में अनुश्रवण माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही है।

3. अतः अनुरोध है कि राज्य की आरक्षण नीति के प्रावधानों का अनुपालन करने हेतु विभागीय स्तर से नामित सम्पर्क पदाधिकारी, जो उप सचिव से अन्यून हों, के स्तर से प्रत्येक माह समीक्षा करते हुए आरक्षण के संबंध में प्रतिवेदन तथा राज्याधीन सेवाओं में नियुक्ति हेतु किये गए रोस्टर क्लीयरेंस तथा इसके आलोक में की गई नियुक्ति के संबंध मे प्रतिवेदन प्रतिमाह सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, ताकि सभी विभागों से प्राप्त प्रतिवेदनों को समेकित करते हुए अनुश्रवण हेतु उच्च प्राधिकार को उपलब्ध कराया जा सके।

कृपया उच्च प्राथमिकता देते हुए अनुपालन सुनिश्चित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

18/10/2016

(राजेन्द्र राम)
सरकार के अपर सचिव।

FILE PATH-D/NAVLESH – HINDI LETEER